न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/89

बजरंगलाल आयु 68 वर्ष आत्मज मोती लाल जाति ब्राह्मण निवासी नेगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. प्रहलाद आयु 70 वर्ष आत्मज श्री मोती लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नेगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवास इन्द्रा कोलोनी बून्दी ।
2. नन्दलाल आयु 75 वर्ष आत्मज श्री मोती जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नेगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान:-
   - 2/1. लोकेश शर्मा आयु 52 साल आत्मज स्व0 श्री नन्दलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नेगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   - 2/2. योगेश शर्मा आयु 44 वर्ष पुत्र स्व0 श्री नन्दलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नेगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   - 2/3. मधु शर्मा आयु 50 वर्ष पुत्री स्व0 श्री नन्दलाल जाति ब्राह्मण पत्नी उमेश शर्मा निवासी ग्राम जोपिया तहसील केकडी जिला अजमेर ।
   - 2/4. सुधा शर्मा आयु 47 साल पुत्री स्व0 श्री नन्दलाल पत्नी श्री महेश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी पुलिस लाईन अजमेर पोस्ट खुर्द तहसील किशनगढ जिला अजमेर ।
   - 2/5. रूकमा बाई आयु 73 वर्ष पत्नी स्व0 श्री नन्दलाल जाति ब्राह्मण निवासी नेगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. कान्ता पुत्री मोती आयु 66 वर्ष पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :- 1. श्री राजकुमार गोयल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
3. श्री जगदीश गुप्ता, गोपाल गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2/1 से 2/2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 21.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नेगढ तहसील हिण्डोली में खाता संख्या 68 में खसरा नम्बर 972 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 973 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 974 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 975 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 976 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 977 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 980 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 1383/465 रकबा 11 बीघा कुल किता 08 कुल रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 के सहखातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 2/5 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान ने आपसी सहमति से पारिवारिक समझौते से बंटवारे कर रखे हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है जिससे पक्षकारान के मध्य आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होते हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी में 2/5 हिस्से का पृथक से खातेदार दर्ज किया जाकर विभाजन में प्राप्त भूमि पर कब्जा दिलाया जावे तथा उक्त भूमि प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत/कैम्प कोर्ट आवेण में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 29.06.2015 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी । परीक्षण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मु0 अटल सेवा केन्द्र में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 01.06.2017 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की किसी प्रकार की कोई तामील नहीं करवायी और न ही उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । बंटवारा रिपोर्ट पर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अंतिम डिक्री पारित कर दी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं अंतिम दिनांक 01.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी की गई प्राथमिक डिक्री तहसीलदार द्वारा तैयार की गई बंटवारा रिपोर्ट एवं परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी की गई अंतिम बंटवारा डिक्री तथा उसकी पालना में खोले गये नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं थी । रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा दिनांक

26.05.2021 को मौके पर पटवारी कानूनगो के साथ आकर प्रार्थी की भूमि खाल करने बाबत् कहा तो उन्होंने बताया कि उक्त भूमि प्रहलाद के खाते दर्ज हो चुकी है तुम्हारे खाते नहीं है इस कारण तुम्हें भूमि खाली करनी पडेगी । इसके उपरान्त अपीलान्ट ने दिनांक 01.06.2021 को पटवारी से नामान्तरकरण की नकल ली और उसके बाद परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री की नकल दिनांक 04.06.2021 को प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 01 ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में परीक्षण न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 29.06.2015 को निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कैम्प कोर्ट में निर्णय दिनांक 01.06.2017 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की । अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना कैम्प कोर्ट में अपीलान्ट की अनुपति में निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.06.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरडी 2019 पेज 206, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1989 पेज 45, आरआरडी 2000 पेज 591, आरआरडी 1995 पेज 576 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को प्रोपर नोटिस/सम्मन तामील हुए हैं । अपीलान्ट के परीक्षण न्यायालय में उपस्थिति के उपरान्त प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की उपस्थिति में प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर दिनांक 01.06.2017 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जिसमें अपीलान्ट की कोई आपत्ति नहीं थी । परीक्षण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करने के बाद अंतिम डिक्री की पालना में नामान्तरकरण दर्ज किया गया है । अपीलान्ट द्वारा जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त भी न्यायालय हाजा में अपील मियाद बाहर पेश की है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित है । अपीलान्ट ने विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये हैं । अपीलान्ट ने अपील में यह नहीं बताया कि भूमि का किस तरह गलत बंटवारा हुआ है। अन्य किसी पक्षकार द्वारा उक्त विभाजन की अंतिम डिक्री के विरूद्ध कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.06.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2017 (3) पेज 1054,

आरआरटी 2001 (1) पेज 1105, आरबीजे 2019 (2) पेज 658, एआईआर 1998 (एससी) पेज 2276, डीएनजे 2019 (1) पेज 47 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि परीक्षण न्यायालय में अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट को सुनवाई/आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व पक्षकारान को सूचित किया जाना चाहिए । परन्तु परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर पर ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति/सूचना पेश करने का अवसर प्रदान किया हो अर्थात् यह माना जा सकता है कि उक्त अंतिम डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को समय पर नहीं हुई । परीक्षण न्यायालय ने अंतिम डिक्री लोक अदालत शिविर में जारी की है जिसमें केवल सहमति से ही निर्णय होते हैं । अतः न्यायहित में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी नन्दलाल, राधाकिशन, प्रहलाद, बजरंगलाल पि0 मोती कान्ता पुत्री मोती के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 899 दिनांक 20.09.2011 का नोट अंकित है । नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2067, विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.02.2017, नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रहलाद हिस्सा 2/5, नन्दलाल , बजरंग लाल पि0 मोती हिस्सा 3/5 संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । इसके अलावा नकल नक्शा ट्रेस संलग्न है।

12. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । प्रारम्भिक डिक्री के आदेश में तहसीलदार हिण्डोली को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया है । परन्तु रिपोर्ट केवल पटवारी द्वारा तैयार है तथा तहसीलदार द्वारा मूल ही उसे प्रेषित किया गया है । अर्थात् मौका कमीश्नर द्वारा रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है । अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.06.2017 को राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट में किया गया है, जबकि लोक अदालत कैम्प में केवल राजीनामा के आधार पर निर्णय होने चाहिए । विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये हैं और उक्त विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किये गये है । जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है एवं विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में तैयार किया जाना चाहिए । प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन रिपोर्ट के अवलोकन

से यह भी प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व सभी पक्षकारान को न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचित नहीं किया गया तथा ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है । इसी प्रकार तहसील से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कोई सूचना पत्र भी जारी होना नहीं पाया गया है । इस तरह परीक्षण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार पालना नहीं की । हम प्रस्तुत प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री को यथावत रखते हुए अंतिम डिक्री पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति/सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा